

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- cnodlb@gmail.com
Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6(ड)लेखा/RTIDF/डीएलबी/2014-15/पार्ट-II/ 42609

दिनांक 24-10-18

-:स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की सप्तम बैठक दिनांक 28.03.2016 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 495 दिनांक 06.04.2016 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 7.4.1 के निर्णय के क्रम में पीपीपी बस ऑपरेटर मैसर्स लक्ष्मी ट्रेवल्स, जोधपुर को अवधि दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 तक तिमाही के संचालन व्यय की राशि रूपये **26.50 लाख (अक्षरे रु. छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)** सेवाकर सहित भुगतान हेतु जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद	(राशि लाख रु. में) जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [08] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	18.20
मांग संख्या - 51 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [09] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	4.75
मांग संख्या - 30 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [10] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	3.57
कुल योग	26.50

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की गई है-

- जोधपुर बस सर्विस लि0 राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि स्वीकृत की गई है।
 - जोधपुर बस सर्विस लि0 पीपीपी ऑपरेटर को संचालन व्यय की राशि के भुगतान में अनुबंध की शर्तों की पालना किया जाना सुनिश्चित करेगा। नियमानुसार देय राशि का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व जोधपुर बस सर्विस लि0, जोधपुर का होगा। विभाग द्वारा केवल राशि उपलब्ध कराई जा रही है, प्रकरण का समुचित परीक्षण कर नियमानुसार देय राशि का भुगतान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व जोधपुर बस सर्विस लि0, जोधपुर का ही होगा।
 - जोधपुर बस सर्विस लि0 राशि का व्यय करते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों की पालना भी किया जाना सुनिश्चित करेगा।
 - जोधपुर बस सर्विस लि0 जोधपुर भुगतान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगा कि आरटीआईडीएफ के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पूर्ण पालना की गई है।
 - इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा।
- यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई डी. क्रमांक 171800991 दिनांक 09.10.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6(ड)लेखा/RTIDF/डीएलबी/2014-15/पार्ट-II/ 42610-21
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक: 24-10-18

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- उप. सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रू. 26.50 लाख (अक्षरे रू. छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड के निजी निक्षेप खाता में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय(शहर), जोधपुर।
09. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
10. कार्यकारी निदेशक, जोधपुर बस सर्विस लि. जोधपुर।
11. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक